न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 99 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 07.11.2017

जुगलकिशोर मीना पुत्र बलराम जाति मीना निवासी कोटडी तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14.09.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री दौलतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 06.12..2017**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने आदेश दिनांक 14.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 247 रकबा 0.10 है0 किस्म नहरी वाके ग्राम कोटडी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने पूर्व कोई नोटिस नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है ओर न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट की है।ढाणी कोटडी मोड के नाम अलमशहूर है जहां पर लगभग 100—150 से भी अधिक लोगो के मकानात बने हुए है। अपीलांट उपरोक्त भूमि पर गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज चला आ रहा है।अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का उल्लेख किया गया है।

जिला कलेक्टर टोंक

अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम कोटडी के खसरा नम्बर 247 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0 नहरी भूमि पर नीजी स्कूल बनाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.02.2012 से बेदखल किया गया है इससे सिद्व है कि अपीलण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया गया है।जबकि अतिक्रमी को सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने से पूर्व विधिनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2017 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिनुसार पुर्नः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक